

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2220/2026

Shobag Alias Palit S/o Ramswaroop @ Kailash, Aged About 24
Years, R/o Jelmiya, Police Station Diggi, District Tonk (At Present
Lodged In Central Jail Bikaner)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Devendra Choudhary Mr. Kuldeep Choudhary
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

23/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना— गजनेर, जिला—बीकानेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **84/2025** अपराध अन्तर्गत धारा 305(ए), 331(4) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि उसे इस प्रकरण में धारा 305(ए), 331(4) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के सचेत आधिपत्य से कोई चोरी का सामान इत्यादि बरामद नहीं हुआ है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को अन्य प्रकरण से प्रोडक्शन वारंट के अंतर्गत न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है। प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर चोरी का माल खरीदकर अन्य व्यक्तियों को सप्लाई किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के पूर्व में उसके विरुद्ध कुल 13 अन्य प्रकरण विभिन्न अपराधों में पंजीबद्ध हुए हैं। प्रार्थी/अभियुक्त की आपराधिक प्रवृत्ति को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दिए गए तर्कों व इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के सचेत आधिपत्य से कोई चोरी का माल बरामद होना दर्शित नहीं किया गया है। प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **शोभाग उर्फ पलीत पुत्र रामस्वरूप उर्फ कैलाश** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब निम्न शर्त पर जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

शर्तः—

1. प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक माह के द्वितीय व चतुर्थ सप्ताह के शनिवार को, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। संबंधित पुलिस थानाधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन संबंधित

विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त शर्त का उल्लंघन करता है, तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा। विचारण न्यायालय आरोपी को जमानत पर रिहा करने के से पहले पुलिस मुचलके भरने संबंधित पुलिस थानाधिकारी के माध्यम से जमानती के पते और संपर्क विवरण का सत्यापन भी करेगा।

2. जमानत पर आजाद होने के 7 दिवस के अंतर्गत प्रार्थी/अभियुक्त अपना वर्तमान पता एवं मोबाइल नंबर, जो वह उपयोग में ले रहा है, उसका विवरण संबंधित थानाधिकारी को उपलब्ध कराएगा व संबंधित थानाधिकारी उक्त पते व मोबाइल नंबर को सत्यापित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त अपने वर्तमान पते व मोबाइल नंबर में कोई परिवर्तन करता है, तो उसकी सूचना भी तुरंत प्रभाव से संबंधित थानाधिकारी एवं संबंधित न्यायालय को देगा।
3. इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को सख्त अनुपालना हेतु भेजी जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J